



## न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

R 1359 P.B.M. 11

1- श्रीमती निकिता पति गोपाल बंसल

2- श्रीमती सुशीला पति ओमप्रकाश बंसल

दोनों निवासी- प्लाउडन रोड महुं जिला इन्दौर

.....निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन

.....विपक्षी


### निगरानी अर्ज धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यन्त विनम्रता से अर्ज है कि निगरानीकर्ता महिलाएँ हैं, बिना विधिक सूचना के मूल न्यायालय याने अनुविभागीय अधिकारी महोदय महु ने अपने राजस्व प्रकरण क. 41/ब-121/12-13 में आज्ञा दिनांक 21/11/2012 को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएँ जो कार्यवाही की है वह विचाराधीकार रहित हैं, विधि के विपरित हैं मनमानी हैं। उक्त कार्यवाही में हम निगरानीकर्ता की भूमियों के सर्वे नंबरों का उल्लेख नहीं हैं। किसी अन्य सर्वे नंबरों का उल्लेख कर हम दोनों पृथक पृथक भूमि स्वामी के विरुद्ध एक ही प्रकरण दर्ज कर समुचित सुनवाई ना कर मनमाने तौर पर आज्ञा दी है जो व्यर्थ है, विधि से शुन्य है। हम निगरानीकर्ता ने विधिवत अनुविभागीय अधिकारी महोदय महु के न्यायालय में अपनी भूमियों के संबंध में धारा 172(1) म.प्र. भू.रा.सं. मुजब व्यपवर्तन बाबद आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें विभिन्न विभागों से अभिमत भी प्राप्त हो चुके हैं। यह सब न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय महु की जानकारी में होते हुए एक विविध प्रकरण जो राजस्व प्रकरण कमांक 41/बी-121/2012-13 पर दर्ज कर आदेश दिनांक 21/11/2012 द्वारा रुपये 7,86,000/- की एकीकृत शास्ती निगरानीकर्ता के उपर अधिरोपित की गई उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर एक अपील श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय इन्दौर के यहां पेश की जो प्रकरण कमांक राजस्व अपील कमांक 10/2013-14/अपील पर दर्ज होकर हमारी विधिक अपील पूर्ण स्वीकार करना थी और मूल न्यायालय की कार्यवाही अपास्त करना थी व मूल न्यायालय का प्रकरण झाप करना था ऐसा ना करने में अपर कलेक्टर महोदय इन्दौर ने गंभीर त्रुटि की है। अतः

कमलेश्वर  
गुलमी  
18/11

23-4/14



पूर्ण मामला अनुविभागीय अधिकारी महोदय महु का अपास्ती बाबद व उतने पूर्ता दुरुस्ती बाबद अपर कलेक्टर महोदय इन्दौर के आदेश में दुरुस्ती बाबद यह निगरानी अर्ज निम्न आधारों पर सादर सद्भावनापूर्वक अंदर अवधि पेश है :-

R.1359- PBR/14

उंदार

स्थान तथा दिनांक	निकिला/शामन कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
18/6/4	<p>आवेदक अभिभाषक सूचना उपरोक्त अनुपस्थित। तीन बार पुकार लगाया गया। कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पेंची में रजिस्ट्रिड किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">M अध्यक्ष</p>	